

आदेश संख्या.....90/2015-16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008, आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 6.10.2008 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 जिन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक को कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बैंड 2(9300-34800) ग्रेड पे 5400/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम स.ले.अ. ग्रेड-11 सर्व श्री	मेरिट संख्या	जन्मतिथि	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	राम मोहन श्रृंगी	194/1986	02-07-1964	06-06-1988	06-06-2015	
2.	ओम प्रकाश	199/1986	10-07-1962	07-07-1988	07-07-2015	
3.	राजेन्द्र सिंह चौधरी	318/1986	04-10-1962	11-07-1988	11-07-2015	
4.	पुरुषोत्तम पारीक	396/1986	04-06-1957	24-05-1988	24-05-2015	
5.	रामेश्वर लाल	418/1986	05-06-1961	06-06-1988	06-06-2015	
6.	ओम प्रकाश गुप्ता	431/1986	01-12-1958	18-07-1988	18-07-2015	
7.	शिव प्रसाद परोहित	477/1986	09-08-1959	06-06-1988	06-06-2015	
8.	राजेन्द्र सिंह चौहान	486/1986	30-11-1963	07-07-1988	07-07-2015	
9.	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	539/1986	26-06-1962	12-07-1988	12-07-2015	
10.	रामसिंह बलौदा	560/1986	02-03-1957	11-07-1988	11-07-2015	
11.	शिव कुमार चूरा	579/1986	21-05-1960	24-05-1988	24-05-2015	
12.	अशोक कुमार दवे	591/1986	20-02-1963	11-07-1988	11-07-2015	
13.	किशन लाल शर्मा	610/1986	01-07-1960	11-07-1988	11-07-2015	
14.	मोहन सिंह	632/1986	10-07-1955	18-06-1988	18-06-2015	
15.	सुदेश कुमार शर्मा	634/1986	30-09-1959	12-07-1988	12-07-2015	

उक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कम संख्या 3,5,7,9 ,12 एवं 14 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को छोड़कर शेष स.ले.अ.-11 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

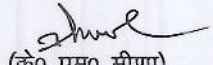
उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4800/- में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 86/अलेसे-11/19850-19879
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 20/08/2015

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय.....
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


(के0 एम0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)